BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A No. 64 of 2025
IN
O.A. No. 487 OF 2024

IN THE MATTER OF: -

Sandeep …Applicant

Versus

Uttar Pradesh Pollution Control Board & Others …Respondents

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in pursuance to the order dated 13.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	**1-3**
2.	**ANNEXURE No. 1** A true copy of the letter dated 03.03.2025	**4**
3.	**ANNEXURE No. 2** A true copy of the letter dated 03.03.2025	**5**
4.	**ANNEXURE No. 3** A true copy of the complaint dated 03.07.2025	**6-30**
5.	**ANNEXURE No. 4** A true copy of the joint inspection report dated 09.04.2025	**31-34**
6.	**ANNEXURE No. 5** A true copy of the inspection report of UPPCB dated 02.09.2025	**35-40**

Uttar Pradesh Pollution Control Board

Through

AMIT SHUKLA
Advocate for the UPPCB
Office at : D- 54, Sector – 48, Noida – 201303
Email: amit.shukla@lexweb.in
Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi
Date: 10.09.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. No. 64 of 2025
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 487 OF 2024

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) Regn-10943/15 GOVT. OF INDIA NOTARIAL

IN THE MATTER OF:

Sandeep ....Applicant

Versus

UPPCB & Ors ....Respondents

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARDIN PURSUANCE TO THE ORDER DATED 13.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

I, Sanjeev Kumar Singh aged about 39 years, presently posted as Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Lucknow do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, deponent in the official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such competent and authorized to swear this affidavit.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) Regn-10943/15 GOVT. OF INDIA

That UPPCB vide letter dated 03.03.2025 has imposed environmental compensation of Rs. 16,81,250/ (Rs.Sixteen lakhs Eighty One Thousand Two Hundred Fifty only) against M/s Shri Ram Ent Udyog, Village-Chhaugavan, Sirsa Mod, Rampur Mudiya, Charra, Tehsil-Atrauli, District Aligarh. A true copy of letter dated 03.03.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure No. 1.**

Sk

3. That UPPCB has sent a letter dated 09.05.2025 to District Magistrate, Aligarh for recovery of Environmental Compensation of Rs. 16,81,250/- (Rs. Sixteen lakhs Eighty-One Thousand Two Hundred Fifty only) imposed by UPPCB vide letter dated 03.03.2025.A true copy of the letter dated 09.05.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure No. 2**

4. That it is to submit here that considering the violation of the closure order dated 07.05.2024 of UPPCB, a complaint has been registered before the Special Court of Judicial Magistrate I^{st} class UP Lucknow against M/s Shri Ram Eint Udyog, Village-Chhaugavan, Sirsa Mod, Rampur Mudiya, Charra, Tehsil-Atrauli, District Aligarh. A true copy of the Complaint dated 03.07.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure No. 3**

5. That a joint inspection of the questioned brick kiln was conducted on 09.04.2025 by joint team of Sub-Divisional Magistrate Aligarh, Mining Officer Aligarh and officials of Regional Office UPPCB Aligarh. During above joint inspection dated 09.04.2025 the brick kiln was found not operational. It is to further submit here that the latest inspection of the brick kiln was conducted by officials of RO UPPCB Aligarh on 02.09.2025. During above inspection dated 02.09.2025 the brick kiln was not operational. A true copy of joint inspection report dated 09.04.2025 and inspection report of UPPCB dated 02.09.2025 are annexed herewith and marked as **Annexure No.4 & 5 respectively.**

Sk

DEPONENT

NOTARY

VERIFICATION

Verified at ...Lucknow...on this ...10th.. day of September, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

Sk

DEPONENT

NOTARY
NOORJAHAN
Civil Court
Lucknow, (U.P.)
Regn-10943/15
GOVT. OF INDIA

Sworn and Verified
before me
10/9/25
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10943/15

I know & Identify the deponent / Executant
who has signed / put his T.I. before me
S. Iqbal Advocate
Reg. No. 6043/1999

4

Annexure No. 1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पंजीकृत

पत्रांक H25009 /सी–4 / ईट–904 / पर्या0क्षति0 / 2025, दिनांक 3-3-25

सेवा में,

मै0 श्रीराम ईट उद्योग,
ग्राम–छौगांवा, सिरसा मोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा,
तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़।

विषय : <u>पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच117783 / सी–4 / ईट–904 / का0ब0नो0 / 2024, दिनांक 31.05.2024 द्वारा मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम–छौगांवा, सिरसा मोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठा द्वारा बार–बार किये जा रहे उल्लंघन दिवसों हेतु कुल धनराशि रू0 16,81,250/– (रूपया सोलह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–795 / एयू–578 / 2024, दिनांक 01.07.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगांवा, सिरसा मोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.05.2024 की पुष्टि करते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार कुल धनराशि रू0 16,81,250/– (रूपया सोलह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक 01.07.2024 के अनुक्रम में ईट भट्ठा मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौगांवा, सिरसा मोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–कोल, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार कुल धनराशि रू0 16,81,250/– (रूपया सोलह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 16,81,250/– (रूपया सोलह लाख इक्यासी हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: **https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB** तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.up.gov.in

Mailed 05/03/25

Annexure No. 2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०–H29116/C-4/Ent-904/RC/Aligarh/2025 दिनांकः–09-05-2025

Regd.

To,

The Collector,
Aligarh.

Subject: Regarding collecting/recovery of Environmental Compensation imposed on M/s Shri Ram Ent Udhyog, Village-Chhaugawa, Sirsa Road, Rampur Mudia, Chharra, Tehsil Atrauli, District-Aligarh.

Sir,

Please refer to H.O. letter No. H25009/C-4/ईंट–904/पर्या०क्षति०/2024 dated 03.03.2025 on the above subject. UPPCB vide letter dated 03.03.2025 has imposed Environmental Compensation of ₹ 16,81,250/- (₹ Sixteen Lakh Eighty one Thousand Two Hundred Fifty Only) against the unit. The amount of Environmental Compensation has not been deposited by the unit till date.

The sum of ₹ 16,81,250/- (₹ Sixteen Lakh Eighty one Thousand Two Hundred Fifty Only) is payable in account of Environment Compensation from **M/s Shri Ram Ent Udhyog, Village-Chhaugawa, Sirsa Road, Rampur Mudia, Chharra, Tehsil Atrauli, District-Aligarh.**

The Name and Address of the Owner/Directors of the concerned industry is as follows:

1. Smt. Rani Devi (Proprietor) W/o Shri Bodhpal Singh, Address- Gata No.-37, Mauza. Chhaugawa, Tehsil Atrauli, Aligarh C/o **Shri Ram Ent Udhyog, Village-Chhaugawa, Sirsa Road, Rampur Mudia, Chharra, Tehsil Atrauli, District-Aligarh.**

You are hereby requested to recover the same and deposit it into the account of the U.P. Pollution Control Board's through following link-

Payment Gateway-**https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB**
Nature of Pollution-**Air Pollution**
EC imposed in compliance-**UPPCB**

Yours Sincerely,

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

CC- **Regional Officer, UPPCB, Aligarh.**

Member Secretary

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: uppcb.up.gov.in

Anneuxre No. 3

udicial Magistrate Lucknow(1), Lucknow

	Case Number	Party Name
	1)Criminal Misc. Cases/3594/2024 SPL.JM POLLUTION	U.P.P.C.B. THROUGH UPENDRA PRASAD Vs M/S RAM ENT UDYOG AND OTHER

Filed on
03/07/24

समक्ष न्यायालय श्रीमान् विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, (वायु एवं जल प्रदूषण), लखनऊ

परिवाद संख्या 3594 वर्ष 2024

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी०सी०–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ द्वारा उपेन्द्र प्रसाद, सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

......परिवादी

बनाम

1. मे० राम ईट उद्योग (पूर्व नाम–मे० सुकेश कुमार बी०के०ओ०), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ द्वारा प्रोपराइटर

2. श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री बोधपाल सिंह, निवासिनी–सिरसा, पोस्ट–बिजौली, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़, प्रोपराइटर, मे० राम ईट उद्योग (पूर्व नाम–मे० सुकेश कुमार बी०के०ओ०), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़

......विपक्षीगण

<u>परिवाद अन्तर्गत धारा–39–डी वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित)</u>

महोदय,

परिवादी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जिसको आगे परिवादी बोर्ड कहा जाएगा) निम्नलिखित नम्र निवेदन करता है:–

1. यह कि परिवादी बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल, वायु एवं पर्यावरणीय प्रदूषणों के निवारण एवं नियंत्रण के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–4(1) के अन्तर्गत एल.एस. जी–सेक्शन–4 शासनादेश संख्या–897 / ix–4–100–74 दिनांक 03.02.1975 द्वारा किया गया है। अग्रेतर, अधिसूचना संख्या–2179 / 9–02–100–74 दिनांक 13.07.1982 के अन्तर्गत परिवादी राज्य बोर्ड का नाम उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किया गया है।

SCANNED

2. यह कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा–21 के अन्तर्गत यह प्राविधानित है कि कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई औद्योगिक संयंत्र स्थापित एवं संचालित नहीं करेगा। उ0 प्र0 सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया गया है।

3. यह कि मे0 राम ईंट उद्योग (पूर्व नाम–मे0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ (जिसे आगे "ईंट भट्ठा" कहा जाएगा) अधिनियम की धारा–39–डी के उपबन्धों के अधीन कम्पनी की परिभाषा से आच्छादित है, जिसके द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में बिना परिवादी बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त किए ईंट भट्ठे की स्थापना की गई हैं एवं संचालन किया जा रहा है। अधिनियम की धारा–2(ट) के अन्तर्गत ईंट भट्ठा एक औद्योगिक संयंत्र है, जिसे स्थापना एवं संचालन से पूर्व परिवादी बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किया जाना आज्ञापक है।

4. यह कि विपक्षी संख्या–1 के अवैध संचालन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के क्रम परिवादी बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया एवं पत्र दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से प्रश्नगत ईंट भट्ठे को जारी सहमति को अधिनियम की धारा–21(4) के अन्तर्गत रिवोक कर लिया गया। पत्र दिनांक 19.12.2023 की प्रति परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–1** के रुप में संलग्न है।

5. यह कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण ईंट भट्ठा प्रतिनिधि, श्री मोकहम सिंह, की उपस्थिति में परिवादी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत ईंट भट्ठा परिवादी बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना और बंदी आदेश का उल्लंघन कर संचालित एवं फुंकाई करते हुए पाया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक 21.03.2024, हस्ताक्षरित दिनांक 22.03.2024, मय फोटोग्राफ परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–2** के रुप में संलग्न है।

6. यह कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण स्थानीय जिला प्रशासन की टीम द्वारा दिनांक 01.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रश्नगत ईंट

भट्ठा राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किए संचालित पाया गया, जिसका संचालन जिला स्तरीय समिति (नायब तहसीलदार अतरौली, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग एवं परिवादी बोर्ड) द्वारा पानी डालकर बंद कराया गया एवं उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि भविष्य में प्रश्नगत ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किए न किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा किए गए निरीक्षण की आख्या दिनांक 01.05.2024 की प्रति परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–3** के रुप में संलग्न है।

7. यह कि अधिनियम, 1981 की धारा–31(ए) के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते परिवादी बोर्ड द्वारा दिनांक 07.05.2024 को विपक्षी संख्या–1 के विरुद्ध बिना पूर्व सहमति प्राप्त किए वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में ईंट भट्ठे की स्थापना एवं संचालन किए जाने के कारण बंदी आदेश जारी किया गया। बंदी आदेश दिनांक 07.05.2024 की प्रति परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–4** के रुप में संलग्न है।

8. यह कि विपक्षी संख्या–2, श्रीमती रानी देवी, प्रश्नगत ईंट भट्ठे की प्रोपराइटर हैं और विपक्षी संख्या–1 के दिन प्रतिदिन के कार्यों एवं व्यवसाय संचालन के लिए उत्तरदायी है, जिसके द्वारा अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित नियमों एवं उपबंधों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है जो अधिनियम, 1981 की धारा–39–डी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। विपक्षी संख्या–2 के विपक्षी संख्या–1 का प्रोपराइटर होने संबंधी विपक्षी संख्या–1 का भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रमाण–पत्र तथा विपक्षी संख्या–2 के आयकर एवं आधार कार्ड की प्रति, संयुक्त रुप से, परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–5** के रुप में संलग्न है।

9. यह कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे का पुनः निरीक्षण दिनांक 10.05.2024 को परिवादी बोर्ड द्वारा ईंट भट्ठा प्रतिनिधि, श्री बच्चन सिंह एवं श्री मोहकम सिंह की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत ईंट भट्ठा बंदी आदेश प्रभावी होने के उपरान्त एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किए संचालित पाया गया जो कि अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन एवं धारा–39–डी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। निरीक्षण आख्या दिनांक 10.05.2024, हस्ताक्षरित दिनांक 13.05.2024, परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–6** के रुप में संलग्न है।

10. यह कि अधिनियम की धारा–39–डी के अधीन कोई अपराध जो किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

11. यह कि विपक्षी संख्या–2 के द्वारा जानबूझकर बिना राज्य बोर्ड की सम्मति प्राप्त किए विपक्षी संख्या–1 की स्थापना एवं संचालन किया गया है। विपक्षीगणों को अधिनियम, 1981 के अनिवार्य प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। प्रतिवादी संख्या–2 को अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन एवं परिवादी बोर्ड से सम्मति प्राप्त किए बिना अपने ईंट भट्ठे, विपक्षी संख्या–1 का संचालन करने के परिणामस्वरुप एवं अपने व्यक्तिगत दायित्व के फलस्वरुप अधिनियम के अनिवार्य प्राविधानों का उल्लंघन करने का दोषी है तथा दण्ड का भागी है।

12. यह कि विपक्षी संख्या–1 एवं विपक्षी संख्या–2 के द्वारा अधिनियम की धारा एवं प्राविधानों के अन्तर्गत अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध बड़े पैमाने पर समाज के विरुद्ध विपक्षी संख्या–1 एवं विपक्षी संख्या–2 के द्वारा जानबूझकर लगातार कारित किया जा रहा है।

13. यह कि विपक्षी संख्या–2 प्रत्यक्ष रुप से विपक्षी संख्या–1 का मस्तिष्क और तंत्रिका केन्द्र है और उसके द्वारा इकाई, विपक्षी संख्या–1, के दैनिक कार्यों एवं कारोबार का संचालन किया जाता है, जो कि अधिनियम की धारा–39–डी के अधीन दण्डनीय अपराध है।

14. यह कि परिवादी राज्य बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 28.05.2024 को मा0 न्यायालय के समक्ष समस्त विपक्षीगणों के विरुद्ध परिवाद दायर किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। अनुमोदित प्रस्ताव दिनांक 28.05.2024 परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–7** के रुप में संलग्न है।

15. यह कि दिनांक 23.12.1981 को सम्पन्न परिवादी बोर्ड की 16वीं बैठक में कार्यसूची संख्या–16.04 पर लिए गए निर्णय के अनुक्रम में परिवादी बोर्ड

के सदस्य सचिव द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष विपक्षीगणों के विरुद्ध परिवाद दायर किए जाने हेतु श्री उपेन्द्र प्रसाद, सहायक पर्यावरण अभियंता, को प्राधिकृत किया गया है। बोर्ड निर्णय एवं प्राधिकार पत्र, क्रमशः, परिवाद–पत्र के **संलग्नक संख्या–8** एवं **संलग्नक संख्या–9** के रुप में संलग्न हैं।

अनुतोष

अतः, मा0 न्यायालय श्रीमान् जी से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारणों को दृष्टिगत करते हुए विपक्षीगण संख्या–1 व 2 के विरुद्ध उनके द्वारा कारित अपराध के लिए संज्ञान लेते हुए उन्हें तलब करने एवं अधिनियम, 1981 की धारा–39–डी के अन्तर्गत समुचित दण्डादेश पारित करने की कृपा करें। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई अनुतोष जो मा0 न्यायालय वर्तमान परिस्थितियों में उचित एवं न्यायसंगत समझे वह भी पारित करने की कृपा करें।

लखनऊ
दिनांक 03/07/2024

परिवादी

(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियंता
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सूची गवाहानः–

1. श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. श्री ए0 के0 आनन्द, पर्यावरण अभियंता, वृत्त–5, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. श्री राधेश्याम, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
4. श्री जे0 पी0 सिंह, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
5. श्री जितेन्द्र कुमार, अनुश्रवण सहायक, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
6. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
7. अन्य कोई अधिकारी जो विचारण के समय उपलब्ध हो एवं उनका साक्ष्य न्यायहित में आवश्यक हो।

परिवादी

12

1043/2
27.02.2024

Anx-1

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 1909/AV-528/2023 दिनांक 19.12.2023

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 12/1/24
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

सेवा में,

मै0 श्री राम ईट उद्योग,
ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा,
तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़।

विषयः **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–1773 दिनांक 07.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि सही पते, स्थल व गाटा संख्या आदि का साक्ष्य एवं मे0 सुकेश कुमार बी.के.ओ. ग्राम–छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ आदि के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके ईट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक करते हुए भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरण अधिनियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सक्षम अधिकारी को कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

कार्यालय अभिलेखानुसार आप द्वारा अभी तक उक्त वर्णित वाछित सूचनाऐं इस कार्यालय में प्राप्त नही करायी गयी है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) की धारा–25/26 के साथ सपठित 27(2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–21/22 के साथ सपठित धारा–21(4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांकः 193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से निर्गत सहमति (जल/वायु) को रिवोक किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना ईट भट्ठे का संचालन न किया जाये। उपरोक्त जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन न पाये जाने की दशा में ईट भट्ठे के विरूद्ध की गयी किसी भी प्रकार की कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व ईट भट्ठा एवं ईट भट्ठा के उत्तरदायी का स्वयं का होगा।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रषित।

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, अलीगढ़।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. वेव मास्टर, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उक्त ईट भट्ठे की सहमति (जल/वायु) आादेश की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया ओ0सी0एम0एम0एस0 पोर्टल से सन्दर्भित ईट भट्ठे को जारी सहमति (जल/वायु) को रिवोक किये जाने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

AEE LETTER 2023

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला -7-
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ Anx-2
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2002/AU-578/24 दिनांक 22.03.24

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बिना वैध सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित पाया गया। अतः ईंट भट्ठे के विरूद्ध 05.03.2024 से दिनांक 21.03.2024 तक कुल 17 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 17 दिवस हेतु कुल रू0 6,250x17 = 1,06,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के एवं ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
22/3/24
(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

APR
04.4.24

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001 Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.com

Annexure-2

मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भित विषयक ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री मोहकम सिंह उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा हाईड्राफ्ट/जिग–जैग पद्धति पर संचालित पाया गया।
2. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी/लकडी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंधन के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयीं।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच73845 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से जारी बन्दी आदेश के सम्बन्ध में बन्दी आदेश को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या–1161 दिनांक 02.09.2023 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया था। बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच00816 दिनांक 16.09.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित किया गया है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सहमति जल/वायु आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में निरीक्षण दिनांक 18.09.2023 को किया गया था। तत्पश्चात् कार्यालय के पत्र संख्या–193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से दिनांक 30.06.2028 तक सहमति जल/वायु निर्गत की गयी थी।
7. ईंट भट्ठे के विरूद्ध बार–बार शिकायत प्राप्त होने पर कार्यालय के पत्र संख्या–1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस ईंट भट्ठा को प्रेषित किया गया था। कार्यालय अभिलेखानुसार कार्यालय के पत्र संख्या–1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है **(रिवोक पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।**
8. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण उपजिलाधिकारी, अतरौली, अलीगढ़ के कार्यालय में कार्यरत श्री अशरार अहमद, राजस्व निरीक्षक के साथ इस कार्यालय द्वारा दिनांक 30.01.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या कार्यालय के पत्र संख्या–2336 दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से संलग्न कर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अलीगढ़ को मिट्टी खनन एवं कच्ची ईंट पथाई पर रोक लगाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था तथा इसकी सूचना कार्यालय के पत्र संख्या–2543 दिनांक 13.02.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी थी।
9. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईंट भट्ठे के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ द्वारा उपजिलाधिकारी, अतरौली एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु आदेश दिया गया था। उक्त के अनुक्रम में सन्दर्भित ईंट भट्ठे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्टे पर नहीं पायी गयी। परन्तु ईंट भट्ठे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था (छायाप्रति संलग्न)।
10. ईट भट्ठे के विरूद्ध आनलाइन आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से भी किया गया है, जिसका निस्तारण कार्यालय के पत्र संख्या–2850 दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा कार्यालय के पत्र संख्या–2864 दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तहसील–अतरौली, अलीगढ़ को ईंट भट्ठे का संचालन बन्द कराने के साथ–साथ ईंट भट्ठे के संचालन पर सतत् निगरानी रखने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को अनुरोध किया गया था।

11 सन्दर्भित ईंट भट्ठा का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 05.03.2024 से दिनांक 21.03.2024 तक कुल 17 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0 =6,250/- प्रतिदिन की दर से 17 दिवस हेतु कुल रू0 6,250x17 = 1,06,250/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के एवं ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)	(जितेन्द्र कुमार)	(उपेन्द्र प्रसाद)	(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	सहायक पर्यावरण अभियन्ता	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

<u>क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,</u>

22/3/24

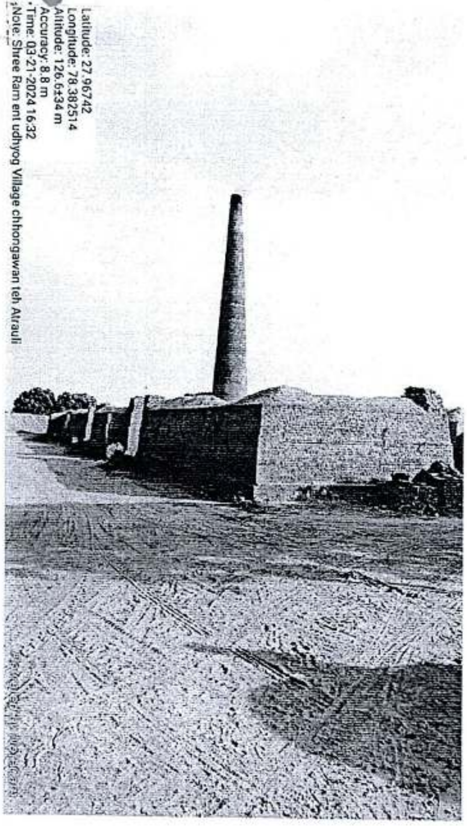
Latitude: 27.96742
Longitude: 78.382514
Altitude: 126.6±34 m
Accuracy: 8.8 m
Time: 03-21-2024 16:32
Note: Shree Ram ent udhyog Village chhongawan teh Atrauli

Latitude: 27.967198
Longitude: 78.383254
Elevation: 184.28±39 m
Accuracy: 5.7 m
Time: 03-21-2024 16:30
Note: Shree Ram ent udhyog Village chhongawan teh Atrauli
Powered by NoteCam

Latitude: 27.96722
Longitude: 78.383182
Elevation: 184.28±38 m
Accuracy: 210.7 m
Time: 03-21-2024 16:30
Note: Shree Ram ent udhyog Village chhongawan teh Atrauli

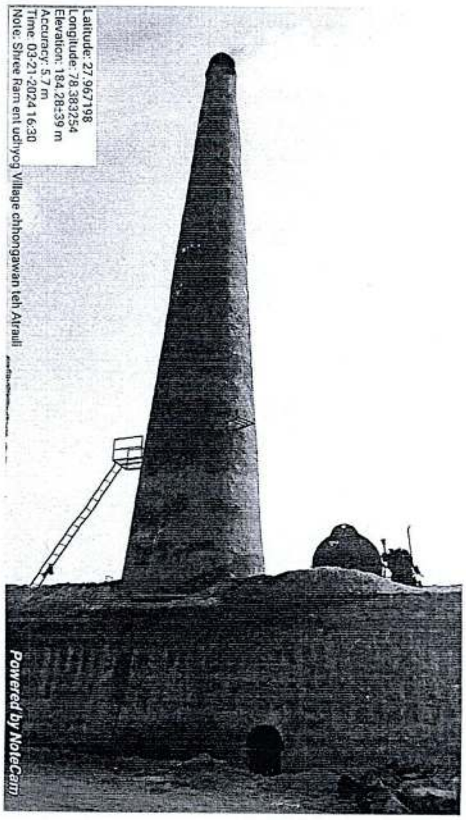
Latitude: 27.967198
Longitude: 78.383254
Elevation: 184.28±39 m
Accuracy: 5.7 m
Time: 03-21-2024 16:30
Note: Shree Ram ent udhyog Village chhongawan teh Atrauli
Powered by NoteCam

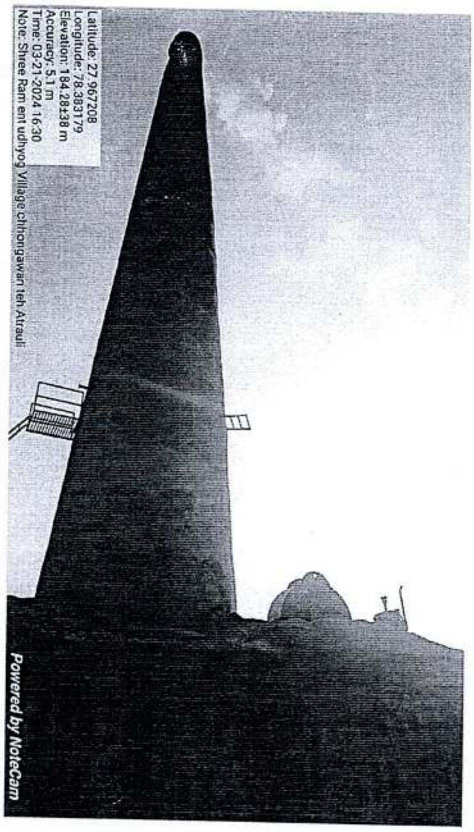
Latitude: 27.967208
Longitude: 78.383179
Elevation: 184.28±38 m
Accuracy: 5.1 m
Time: 03-21-2024 16:30
Note: Shree Ram ent udhyog Village chhongawan teh Atrauli
Powered by NoteCam

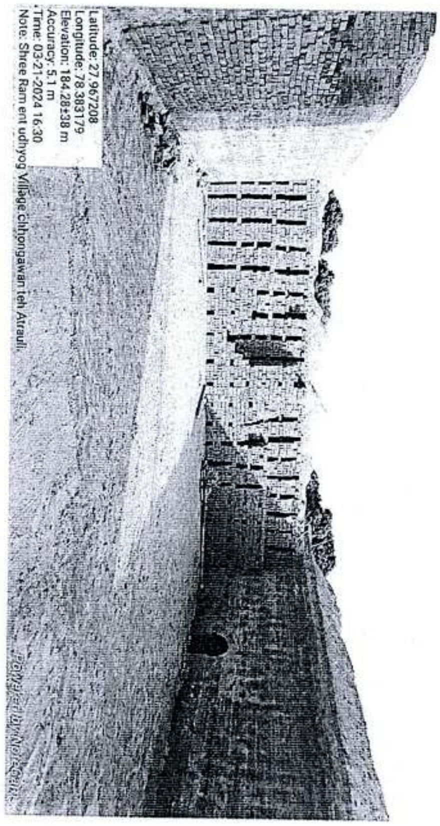
Latitude: 27.967208
Longitude: 78.383179
Elevation: 184.28±38 m
Accuracy: 5.1 m
Time: 03-21-2024 16:30
Note: Shree Ram ent udhyog Village chhongawan teh Atrauli.

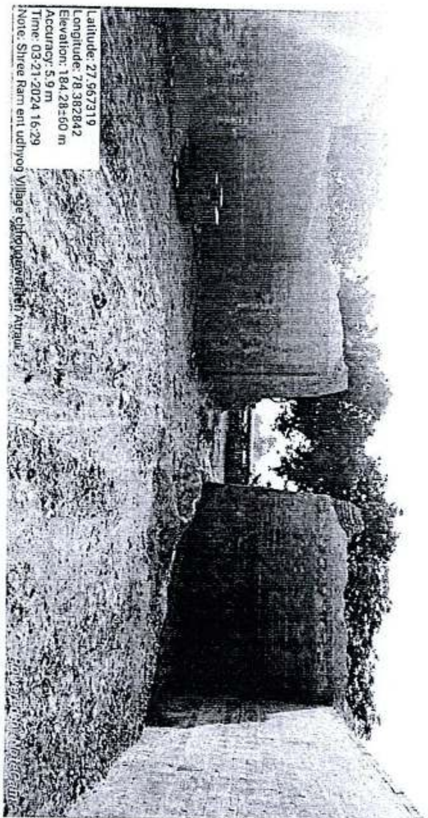
Latitude: 27.967319
Longitude: 78.382842
Elevation: 184.28±60 m
Accuracy: 5.9 m
Time: 03-21-2024 16:29

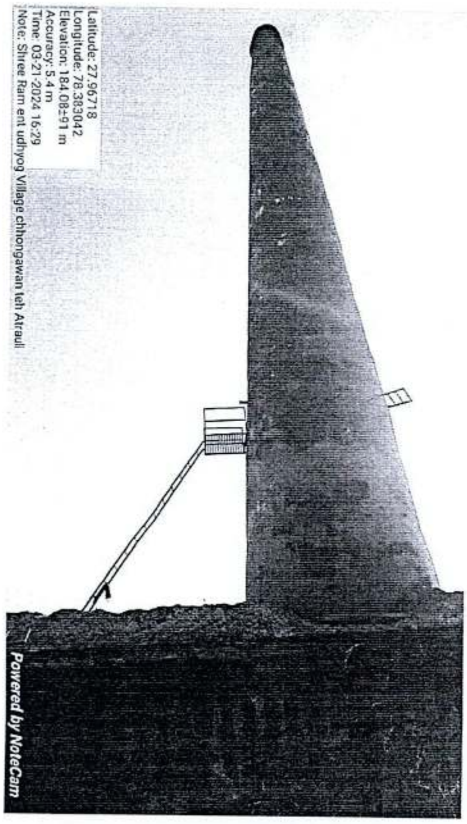
Latitude: 27.96718
Longitude: 78.383042
Elevation: 184.08±91 m
Accuracy: 5.4 m
Time: 03-21-2024 16:29
Note: Shree Ram ent udhyog Village chhongawan teh Atrauli
Powered by NoteCam

मै० श्री राम ईंट उद्योग (पूर्वनाम–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्याः–

उपरोंक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण जिला प्रशासन, अतरौली के साथ दिनांक 01.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री नरेन्द्र सिंह (मुनीम) उपस्थित मिले। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा जिग–जैग/हाई ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित एवं संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है–

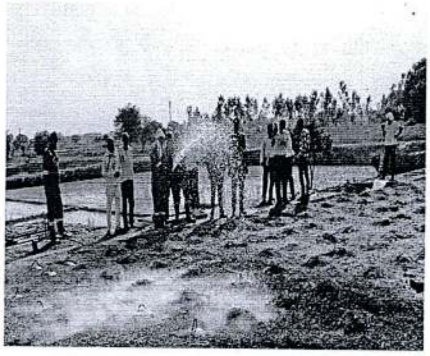

2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार एवं निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु लगभग–30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाये गये।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या–193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से दिनांक 30.06.2028 तक सहमति जल/वायु निर्गत की गयी। कार्यालय के पत्र संख्या–1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को स्थापित ईंट भट्ठे के सही पते, स्थल व गाटा संख्या का साक्ष्य एवं पूर्व नाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में ईंट भट्ठे द्वारा अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रेषित न करने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या–1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक कर लिया गया है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध पूर्व में कार्यालय के पत्र संख्या–711 दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से रू0 7,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी।

7. ईंट भट्ठे का पूर्व में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना बोर्ड से वैध सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। तत्क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या–2882 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध रू0 1,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी थी, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है।

10. निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 के अनुक्रम में ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है।

11. निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए गठित समिति नायब तहसीलदार, अतरौली, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईंट भट्ठे का उत्पादन कार्य बन्द कराया गया तथा निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि भविष्य में ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये न किया जाये।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 22.03.2024 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 41 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0=12,500/- प्रतिदिन की दर से 41 दिवस हेतु कुल रू0 12,500x41=5,12,500/- एवं पूर्व में में अधिरोपित 7,37,500 + 1,06,250 + 5,12,500 को समयोजित करते हुए कुल रू0 13,56,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)	(जितेन्द्र कुमार)	(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

<u>क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,</u>

06/5/24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H-10388 /सी–4/ईट–904/~~का0व0नो0~~ बंदी/2024, दिनांक : 07-05-2024

मै0 श्री राम ईट उद्योग,
ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली,
जनपद–अलीगढ़।

यह कि मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप मे मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर, ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 21.03.2024 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मोहकम सिंह की उपस्थिति में करते हुए निरीक्षण आख्या पत्र दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्ठा हाईड्राफ्ट/जिग–जैग पद्धति पर संचालित पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाया गया। ईट भट्ठे के विरूद्ध बार–बार शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1773, दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था। तद्नुसार क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र सं0–1909, दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है। ईट भट्ठे के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ईट भट्ठे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्ठे पर नहीं पायी गयी, परन्तु ईट भट्ठे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था।

यह कि ईट भट्ठे के विरूद्ध आनलाइन आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त शिकायत का निस्तारण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2850, दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2864, दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, तहसील–अतरौली, अलीगढ़ को ईट भट्ठे का संचालन बन्द कराने के साथ–साथ ईट भट्ठे के संचालन पर सतत् निगरानी रखने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को अनुरोध किया गया था। संदर्भित ईट भट्ठा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–2882/एयू–578/24, दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अंतर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–247/एयू–578/2024, दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया है कि मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय

-15

21

ईट भट्ठा बिना राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित किये जाने पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईट भट्ठे में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 04.06.2022, 22.03.2024 एवं 01.05.2024 के अनुक्रम में ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के निम्नलिखित निर्देश/आदेश जारी किये जाते हैं :–

1. **यह कि ईट भट्ठा मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ को यथावत् बन्द रखा जाये एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में भट्ठे का संचालन न किया जाये।**

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का प्रकरण राज्य बोर्ड में विचाराधीन है, जिस पर नियमानुसार पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विधि अनुभाग द्वारा वांछित प्रपत्रों की मूल प्रति साक्ष्य आदि सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

9759232585

Annexure No-5
-15-

Application No.- 311823240153

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश
DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

Brick Kiln Certificate

This is to certify that *Rani devi* resident of- Sirsa tehsil atrauli aligarh **GSTN - 09CRXPD2742Q1ZW** is Proprietor/Partner of Brick kiln **Shri Ram ent udhyog** Located at District - **Aligarh, Tehsil - Atrauli,** Village - **Chhaugawan,** Gata - **37** Number of Paya- **14**. Brick Kiln Type- **ZigZag** has submitted amount **₹ 266521** as Total Fee inclusive of Application Fee, Regulating Fee and Palothan Soil fee for Brick kiln session **2023-2024** by challan number *AKD230405468* Dated - 13/12/2023

To be considered as a Certificate of depositing regulating Fee on Brick Earth and valid for transportation and storage of Brick Earth and Palothan Soil.

As per the Application by the Owner of Brick kiln, Brick Earth digging will be done from

क्रम संख्या	जनपद	तहसील	ग्राम	भू-स्वामी का नाम	गाटा संख्या:	क्षेत्रफल (हे०):
1	Aligarh	Atrauli	Chhaugawan	Anil kumar, kamlesh, jugendra Singh, ravendra singh,Amit Kumar	214	3.1640

Issuing Date : 13/12/2023

Valid Till : 30/09/2024

This Certificate has been Digitally issued. It has been Downloaded by the applicant from Departmental portal upmines upsdc gov.in. after depositing Regulating Fee. This Certificate does not require any Signature. It's validity can be checked from portal upmines.upsdc.gov.in.

-16-

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

रानी देवी
Rani D[redacted]

मेरा आधा[redacted] पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
पत्नी: बोधपाल सिंह, सिरसा, अलीगढ़,
उत्तर प्रदेश - 202131

Address:
W/O: Bodhpal Singh, Sirsa,
Aligarh,
Uttar Pradesh - 202131

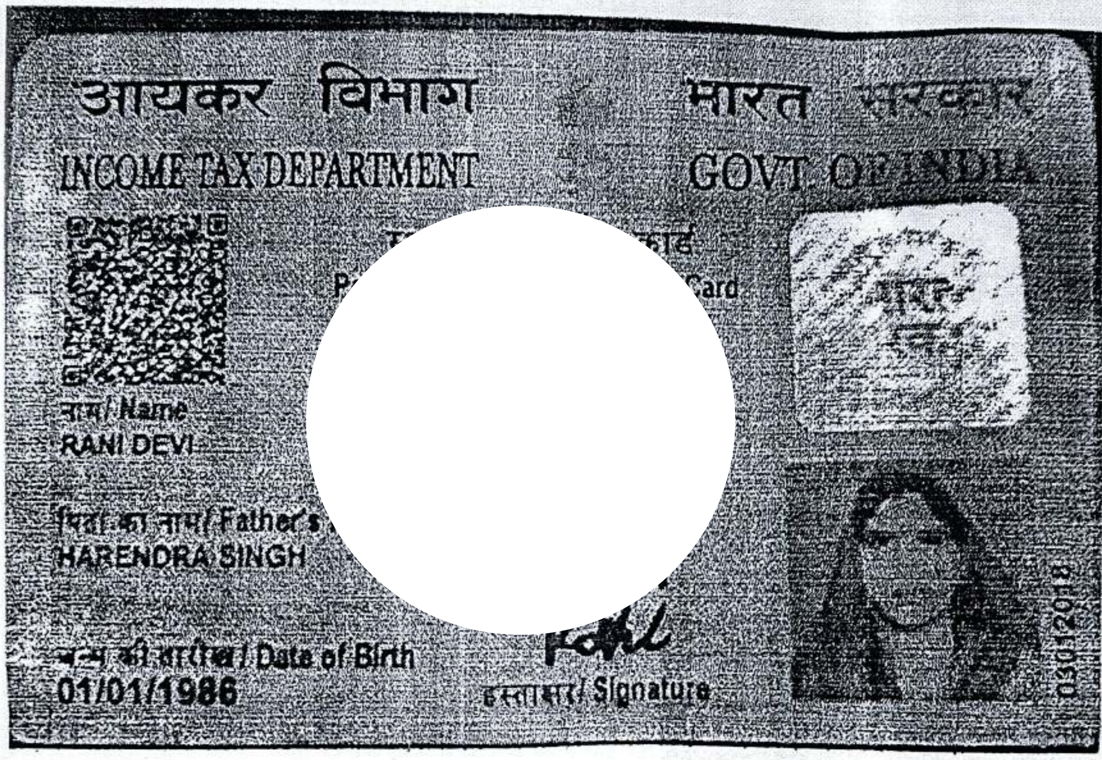

आयकर विभाग भारत सरकार
INCOME TAX DEPARTMENT GOVT. OF INDIA

कार्ड
Card

नाम / Name
RANI DEVI

पिता का नाम / Father's
HARENDRA SINGH

जन्म की तारीख / Date of Birth
01/01/1986

हस्ताक्षर / Signature

03012018

— 18 —

Annexure-6

जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ दिये गये निर्देशों के अनुक्रम मै0 श्री राम ईंट उद्योग (पूर्वनाम–सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ के सम्बन्ध में अद्यतन निरीक्षण आख्याः–

उपरोंक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 10.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री बच्चन सिंह एवं श्री मोहकम सिंह उपस्थित थे, जिन्हे राज्य बोर्ड की सहमति के बिना भट्ठा संचालन नहीं करने हेतु मौखिक रूप से निर्देशित किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा जिग–जैग/हाई ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित एवं संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है–

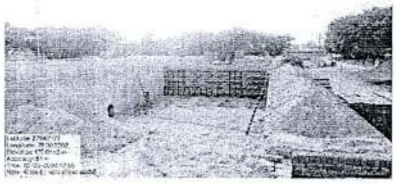

2. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। निरीक्षण के समय चिमनी से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु लगभग–30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर प्लेटफार्म एवं पोर्टहॉल बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाये गये।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या–193199 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से सहमति जल/वायु निर्गत की गयी। कार्यालय के पत्र संख्या–1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को स्थापित ईंट भट्ठे के सही पते, स्थल व गाटा संख्या का साक्ष्य एवं पूर्व नाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0 आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र के सन्दर्भ में ईंट भट्ठे द्वारा अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रेषित न करने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या–1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु को रिवोक कर लिया गया है।
6. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध पूर्व में कार्यालय के पत्र संख्या–711 दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से रू0 7,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी थी **(संलग्नक–1)**।
7. ईंट भट्ठे का पूर्व में निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 **(संलग्नक–2)** को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना बोर्ड से वैध सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। तत्क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या–2882 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध रू0 1,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी थी, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है।
8. निरीक्षण के समय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, द्वारा ओ0ए0 संख्या–253/2021 झम्मन लाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 का उल्लंघन करते हुए ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये किया जा रहा है।

निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईंट भट्ठा बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाये जाने के दृष्टिगत जिला स्तरीय समिति (नायब तहसीलदार, अतरौली, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग एवं इस कार्यालय) द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईंट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया तथा निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि भविष्य में ईंट भट्ठे का संचालन बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये न किया जाये।

10. ईंट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 22.03.2024 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 41 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0=12,500/- प्रतिदिन की दर से 41 दिवस हेतु कुल रू0 12,500x41=5,12,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को की गयी है **(संलग्नक–3)**।

11. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को जिला प्रशासन के सहयोग से बन्द कराये जाने के उपरान्त भी निरीक्षण दिनांक पूर्व में दिनांक 06.05.2024 को संचालित पाया गया है। ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 02.05.2024 से दिनांक 06.05.2024 तक कुल 05 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार (EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/- प्रतिदिन की दर से) तीसरी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत 6,250/– का चार गुणा अर्थात रू0 25,000/दिन की दर से कुल 05 दिवस हेतु कुल रू0 25,000x5=1,25,000/- एवं पूर्व में (7,37,500 + 1,06,250 + 5,12,500) पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति को समयोजित करते हुए कुल रू0 14,81,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या–309 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी **(संलग्नक–4)**।

12. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच10388 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है **(संलग्नक–5)**।

उपरोक्त को संज्ञानित करने से स्पष्ट है कि उक्त ईंट भट्ठे ईट भट्ठे के विरूद्ध दिनांक 07.05.2024 से दिनांक 10.05.2024 तक 04 दिन को डिफाल्टर मानते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/- प्रतिदिन की दर से चौथी पुनरावृत्ति के दृष्टिगत रू0 6,250/– का आठ गुण अर्थात रू0 50,000/दिन की दर से कुल 04 दिवस हेतु कुल रू0 50,000x4=2,00,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर अवगत कराना है कि कार्यालय के पत्र संख्या–309 दिनांक 07.05.2024 के माध्यम से रू0 14,81,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया है, जो बोर्ड मुख्यालय स्तर पर लम्बित है। उपरोक्त को संज्ञानित करते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ पुनः अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

13.5.24	13.5.24	13/5/24	
(जितेन्द्र कुमार शर्मा)	(जितेन्द्र कुमार)	(उपेन्द्र प्रसाद)	(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	सहा0पर्या0 अभियन्ता	सहा0वैज्ञा0अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

13/5/24

ENT BHATTA REPORT

मै0 राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ एवं उसके उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रस्ताव।

मै0 राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप मे मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर, ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा मै0 राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 21.03.2024 को ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मोहकम सिंह की उपस्थिति में करते हुए निरीक्षण आख्या पत्रांक–2882/एयू–578/24, दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्ठा हाईड्राफ्ट/जिग–जैग पद्धति पर संचालित पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाया गया। ईट भट्ठे के विरूद्ध बार–बार शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1773, दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था। तदनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र सं0–1909, दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को जारी सहमति को रिवोक कर लिया गया है। ईट भटठे के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में ईट भट्ठे का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 04.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय फुकाई लेबर भट्ठे पर नहीं पायी गयी, परन्तु ईट भट्ठे से उत्सर्जन होता हुआ पाया गया, जिसको मौके पर बन्द करा दिया गया था।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या पत्रांक–247/एयू–578/2024, दिनांक 01.05.2024 के अनुसार मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बिना राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया। राज्य बोर्ड से बिना सहमति (ज़ल/वायु) प्राप्त किये संचालित किये जाने पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 01.05.2024 को पानी डलवाकर ईट भट्ठे में उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है।

तत्क्रम में राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच10388/सी–4/ईट–904/बंदी/2024, दिनांक 07.05.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31(ए) के अन्तर्गत मै0 श्री राम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ को यथावत् बन्द रखे जाने एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में भट्ठे का संचालन न किये जाने हेतु निर्देश/आदेश जारी किया गया।

जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा ईट भट्ठा मै0 राम ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम–छौगवां, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ का पुनः निरीक्षण दिनांक 10.05.2024 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी [illegible]

ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21, जो धारा-39डी के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्रांक-320/एयू-578/2024, दिनांक 08.05.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार राज्य बोर्ड द्वारा जारी निर्देश/आदेश दिनांक 07.05.2024 की प्रति उद्योग प्रतिनिधि श्री बोधपाल सिंह को दिनांक 08.05.2024 को प्राप्त करा दिया गया है। उक्त ईट भट्ठे के अवैध संचालन हेतु दिन-प्रतिदिन के कार्यो के लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती रानी देवी (प्रोपराइटर) पत्नी श्री बोधपाल सिंह, निवासी-सिरस, पोस्ट-बिजौली, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मै0 राम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0), सिरसा मोड, ग्राम-छौगवां, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ एवं उसके संचालन हेतु दिन-प्रतिदिन के कार्यो के लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती रानी देवी (प्रोपराइटर) पत्नी श्री बोधपाल सिंह, निवासी-सिरस, पोस्ट-बिजौली, तहसील-अतरौली, जनपद-अलीगढ़ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-39डी के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(ए0के0 आनन्द)
पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-4

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

सदस्य सचिव महोदय/अध्यक्ष महोदय

28/5/24

(मनोज सिंह)
अध्यक्ष
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

दिनांक–23.12.81 को सम्पन्न बोर्ड की 16वीं बैठक की जारी सूची सं0–16.04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उस पर लिया गया निर्णयः–

विषय– बोर्ड के विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता को न्यायालय में बोर्ड की ओर से वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करना।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न न्यायालयो में औद्योगिक एवं स्थानीय निकायों के विरूद्व बोर्ड द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसके लिए कभी–कभी यह आवश्यक हो जाता है कि वादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे। अब तक विभिन्न वादों में सदस्य सचिव भी वादी की हैसियत से वाद दायर करते रहे हैं। इस कारण सदस्य सचिव को कई बार न्यायालय में उपस्थित रहना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड के दिन प्रतिदिन के आवश्यक कार्यो म व्यवधान पड़ा है।

उपरोक्त वर्णित कारणों एवं स्थानीय सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव है कि बोर्ड के विधि अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता जिसको भी सदस्य–सचिव नामित करें। बोर्ड की ओर से दायर किए जाने वाले मुक़दमों में, वाद दायर करने के लिए अधिकृत किया जाय।

इस प्रकार की कार्यवाही सें अभियोजनात्मक कार्यवाही अधिक प्रभावी होगी तथा बोर्ड आवश्यक प्रशासनिक उच्च्य स्तरीय कार्यकलापों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा।

<u>निर्णय</u>

बोर्ड की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने हेतु विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी तथा सहायक पर्यावरण अभियंता को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मुकदमा उसी अधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा जिसको सदस्य–सचिव नामित करें।

(राजेन्द्र सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा0)

Annexure No-9

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. :

Date : 03-07-2024

BEFORE THE HON'BLE SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE,
(Water & Air Pollution Control), Ist Class, Lucknow

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow

.......Complainant

Versus

M/s Ram Ent Udhyog (Previous Name-M/s Sukesh Kumar B.K.O.), Sirsa Mod, Village-Chhaugawan, Tehsil-Atrauli, District-Aligarh through its Proprietor and another

......Opposite Parties

AUTHORIZATION

Hon'ble Sir,

As per the resolution of the State Board Sri Upendra Prasad, Assistant Environment Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board is hereby nominated/authorized to file this complaint under Section-39-D of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 M/s Ram Ent Udhyog (Previous Name-M/s Sukesh Kumar B.K.O.), Sirsa Mod, Village-Chhaugawan, Tehsil-Atrauli, District-Aligarh through its Proprietor and another on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, , T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow.

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

The signature of Sri Upendra Prasad is hereby attested.

(Upendra Prasad)

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Annexure No. 4

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
अलीगढ़।

महोदया,

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 870/खनन सहायक दिनांक 08 अप्रैल, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सि0मि0 एप्लीकेशन संख्या 584/25.02.2022 सन्दीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी शिवपुरी छर्रा, जनपद अलीगढ़ के सन्दर्भ में रजिस्ट्रार महोदय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 3505/आठ–बी–287/पीआईएल दिनांक 24.03.2025 के पत्र की प्रति संलग्न करते हुए उप जिलाधिकारी, अतरौली, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूष नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ एवं खान अधिकारी, अलीगढ़ को संयुक्त रूप से प्रश्नगत ईट भट्टे की जॉच कर संयुक्त जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

उपरोक्त के अनुपालन में उप जिलाधिकारी, अतरौली, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ एवं खान अधिकारी, अलीगढ़ के द्वारा आज दिनांक 09.04.2025 को मै0 श्रीराम ईट उद्योग (पूर्वनाम– मै0 उड़िया बाबा ईट उद्योग) ग्राम छौगवॉ निकट सिरसा थाना छर्रा तहसील अतरौली जनपद अलीगढ़ का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया । स्थलीय निरीक्षण के समय उपरोक्त ईट भट्ठे के मुंशी श्री भूरी सिंह उपस्थित रहे । उपरोक्त ईट भट्टे के संचालन सम्बन्धी कोई गतिविधि होना नहीं पायी गयी। मौके पर ईट भट्टे पर कच्ची पक्की ईटों का होना नहीं पाया गया अर्थात् ईट भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द पाया गया । फिर भी उक्त ईट भट्टे के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित मुंशी श्री भूरी सिंह को निर्देशित किया गया कि अग्रिम आदेशों तक ईट भट्टे का संचालन पूर्णतः बन्द रहेगा।

(हस्ताक्षर) 9.4.2025 खान अधिकारी, अलीगढ़	(हस्ताक्षर) 09/04/25 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।	(हस्ताक्षर) उप जिलाधिकारी, अतरौली (अलीगढ़)

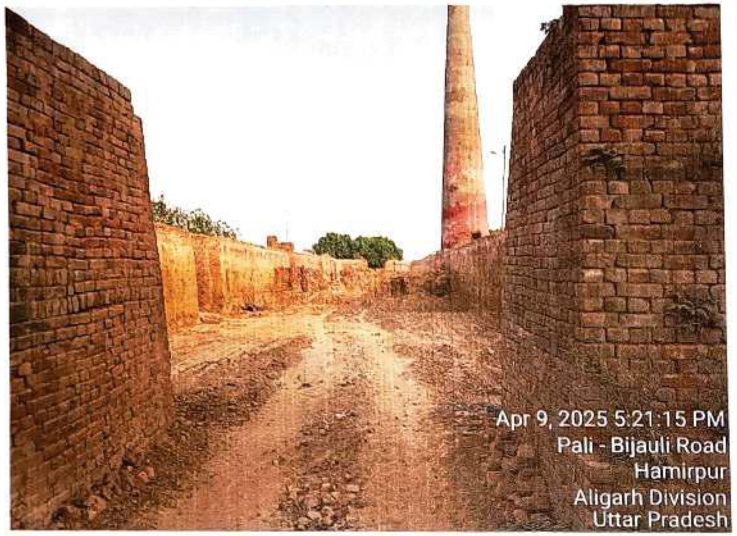
Apr 9, 2025 5:21:15 PM
Pali - Bijauli Road
Hamirpur
Aligarh Division
Uttar Pradesh

148

Apr 9, 2025 5:18:31 PM
Unnamed Road
Aligarh Division
Uttar Pradesh

Apr 9, 2025 5:20:48 PM
Pali - Bijauli Road
Hamirpur
Aligarh Division
Uttar Pradesh

Apr 9, 2025 5:20:56 PM
Pali - Bijauli Road
Hamirpur
Aligarh Division
Uttar Pradesh

Apr 9, 2025 5:20:46 PM
Pali - Bijauli Road
Hamirpur
Aligarh Division
Uttar Pradesh

Apr 9, 2025 5:22:37 PM
Pali - Bijauli Road
Hamirpur
Aligarh Division
Uttar Pradesh

149

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), अलीगढ़।

पत्र संख्या– 870/खनन सहायक दिनांक : 08, अप्रैल, 2025

विषय :– सि0मि0 एप्लीकेशन संख्या 584/25.02.2022 सन्दीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी शिवपुरी छर्रा (अलीगढ़) बाबत अवैध ईट भट्टे के सम्बन्ध में ।

1–उप जिलाधिकारी, अतरौली
2–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
3–खान अधिकारी, अलीगढ़।

कृपया उपरोक्त विषयक रजिस्ट्रार महोदय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के संलग्न पत्र संख्या 3505/आठ–बी–287/पीआईएल दिनांक 24.03.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री संदीप कुमार द्वारा अवैध रूप से संचालित श्रीराम ईट उद्योग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि ईट भट्टे के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से जॉच कर तथ्यात्मक आख्या अधोहस्ताक्षरी को तीन दिवस के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अवगत कराया जा सके । खान अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह ससमय वस्तुस्थिति की संयुक्त जॉच आख्या रजिस्ट्रार महोदय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(मीनू राणा)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
अलीगढ़।

Annexure No. 5

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे–1, ज्ञान सरोवर कालोनी, रामघाट रोड़, अलीगढ़–202001

पत्रांक – 959/AU-578/2025 दिनांक 02.09.2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : **बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक–एच32171 / सी–4 / एन0जी0टी0–235 / 2025 दिनांक 01.09.2025 के माध्यम से प्राप्त पत्र के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–एच32171 / सी–4 / एन0जी0टी0–235 / 2025 दिनांक 01.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, सिरसा, छर्रा,तहसील–अतरौली, जनपद अलीगढ़ को बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या–एच10388 / सी–4 / ईट–904 / बन्दी / 2024 दिनांक 07.05.2024 द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में अद्यतन कार्यवाही एवं अद्यतन निरीक्षण चाही गयी है। तत्क्रम में सन्दर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 02.09.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्द पाया गया। विस्तृत आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक–एच32171/सी–4/एन0जी0टी0–235/2025 दिनांक 01.09.2025 के माध्यम से प्राप्त पत्र के अनुपालन में मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम–छौंगवा, सिरसा, छर्रा,तहसील–अतरौली, जनपद अलीगढ़ की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयय बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक–एच32171/सी–4/एन0जी0टी0–235/2025 दिनांक 01.09.2025 के माध्यम से प्राप्त पत्र के अनुपालन में आपके आदेशानुसार मै0 श्रीराम ईंट उद्योग, ग्राम छौंगवा, सिरसा, छर्रा, तहसील–अतरौली, जनपद–अलीगढ़ का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 02.09.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा हाईड्राफ्ट/जिग–जैग पद्धति पर स्थापित पाया गया।
2. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी पत्र संख्या–एच10388/सी–4/ईट–904/बन्दी/2024 दिनांक 07.05.2024 के अनुपालन में ईट भट्ठा बन्द पाया गया।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे द्वारा संचालन के समय मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
4. ईंट भट्ठे में संचालन के समय ईंधन के रूप में तूरी/लकडी का प्रयोग लगभग 3.0 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंधन के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित पायी गयी।
5. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयीं। निरीक्षण के समय खीचे गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:–

6. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध कार्यालय, जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांकः1332(i)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 26.03.2022 एवं पत्रांकः1153(ii)/डी0एल0आर0 सी0 दिनांक 14.01.2022 के माध्यम से प्रथम बार इस कार्यालय को मै0 उड़ियाबाबा ईट उद्योग, ग्राम छौगवां, (निकट सिरसा), थाना छर्रा, तहसील अतरौली के नाम से बोर्ड की अनुमति के बिना, जल व वायु सहमति के बिना संचालित किये जाने सम्बन्धी शिकायत दिनांक 28.03.2022 को प्राप्त हुई थी।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध कार्यालय, जिलाधिकारी, अलीगढ़ के माध्यम से प्राप्त शिकायत के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.03.2022 को श्री बच्चन सिंह, ईट भट्ठा मुनीम की उपस्थिति में किया गया था। निरीक्षण आख्यानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठा स्थल उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसके अनुक्रम में ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31(ए) के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्रांकः2025 दिनांक 31.03.2022 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी थी।

8. बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित आख्या दिनांक 31.03.2022 के आधार पर सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांकःएच73845 दिनांक 04.04.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया। जारी बन्दी आदेश के अनुक्रम में जिला प्रशासन, अलीगढ़ की संयुक्त टीम के साथ उक्त ईट भट्ठे में पानी डलवाकर भट्ठे का संचालन दिनांक 26.05.2022 को बन्द करा दिया गया।
9. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध पुनः शिकायत प्राप्त होने पर ईट भट्ठे का निरीक्षण कार्यालय द्वारा दिनांक 01.06.2022 को किया गया था। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 04.04.2022 का उल्लंघन करते हुए संचालित पाया गया, जिसके फलस्वरूप ईट भट्ठे पर रू0 7,37,500.00 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्रांकः711 दिनांक 04.06.2022 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी थी।
10. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे द्वारा प्रथम बार कार्यालय में मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम छौगवां, (निकट सिरसा), तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के नाम से दिनांक 20.09.2022 को आनलाइन माध्यम से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया। प्राप्त आवेदन के अनुक्रम में दिनांक 24.09.2022 को आनलाइन क्लियरीफिकेशन रेज्ड की गयी थी, जिसका ईट भटठा द्वारा समयान्तर्गत प्रतिउत्तर न दिये जाने एवं ईट भटठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के माध्यम से जारी बन्दी आदेश दिनांक 04.04.2022 के प्रभावी होने के कारण सहमति (जल/वायु) आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2022 को अस्वीकृत कर दिया गया।
11. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध कार्यालय, जिलाधिकारी, अलीगढ़ के माध्यम से प्राप्त शिकायत पत्र संख्या–203(i)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 15.12.2022 के अनुक्रम में सन्दर्भित ईट भटठे का पुनः निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 25.12.2022 को किया गया था। निरीक्षण के समय भट्ठा संचालित नहीं पाया गया किन्तु जिग–जैग/हाइड्राफ्ट पद्धति पर परिवर्तित किये जाने का कार्य ईट भट्ठे पर प्रगति पर होता हुआ पाया गया, जिसकी आख्या अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अलीगढ़ को इस कार्यालय के पत्रांकः2348 दिनांक 29.12.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी।
12. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे द्वारा बोर्ड मुख्यालय से जारी बन्दी आदेश दिनांक 04.04.2022 का उल्लंघन किये जाने पर जिला प्रशासन के सहयोग से दिनांक 17.03.2023 एवं 07.04.2023 को भट्ठे पर पानी डलवाकर ईट भट्ठे का संचालन बन्द कराया गया।
13. कार्यालय अभिलेखानुसार मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम छौगवां, (निकट सिरसा), तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 07.08.2023 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 श्रीराम ईट उद्योग ईट भट्ठे को पूर्व में मै0 सुकेश कुमार (बी0के0ओ0), ग्राम रामपुर मुड़िया, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के नाम से बोर्ड से प्रथम बार सहमति जल/वायु वर्ष 1997 में पत्र दिनांक 07.02.1997 के माध्यम से सहमति जल/वायु जारी की गयी है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.1997 तक की है। अतः ईट भटठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक 04.04.2022 को निरस्त कराने की कृपा करें। ईट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के आधार पर ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश को निक्षेपित किये जाने हेतु आख्या इस कार्यालय के पत्रांकः1161 दिनांक 02.09.2023 द्वारा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी।
14. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश दिनांक 04.04.2022 को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांकःएच00816 दिनांक 15.09.2023 द्वारा सशर्त निक्षेपित किया गया था।

15. कार्यालय अभिलेखानुसार मै0 श्रीराम ईट उद्योग, (पूर्वनाम मै0 सुकेश कुमार बी0के0ओ0, ग्राम छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ के नाम से सहमति (जल/वायु) हेतु आनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2023 को किया गया। प्राप्त आवेदन के अनुक्रम में ईट भट्ठे का निरीक्षण तत्समय इस कार्यालय में तैनात श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक द्वारा दिनांक 18.09.2023 को किया गया एवं निरीक्षणोपरान्त ईट भट्ठे को आनलाइन सन्दर्भ संख्या–193199/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/ CTO/both/Aligarh/2023 दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से दिनांक 30.06.2028 तक की सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत की गयी थी।

16. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध पुनः शिकायत प्राप्त होने के अनुक्रम में ईट भट्ठे को इस कार्यालय के पत्रांकः1773 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में 03 दिवस के अन्दर प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। निर्धारित समयावधि के अन्दर ईट भट्ठा द्वारा प्रतिउत्तर कार्यालय में प्रेषित न किये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांकः1909 दिनांक 19.12.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को जारी सहमति (जल/वायु) को रिवोक कर लिया गया।

17. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे द्वारा बिना राज्य बोर्ड की सहमति के संचालित पाये जाने पर उप जिलाधिकारी, अतरौली, जनपद अलीगढ की संयुक्त टीम के साथ ईट भट्ठे को दिनांक 04.03.2024 को बन्द कराया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा ईट भट्ठे के पुनः संचालन किये जाने के सम्बन्ध मे की गयी शिकायत के अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्रांकः2864 दिनांक 20.03.2024 द्वारा उप जिलाधिकारी, अतरौली, जनपद अलीगढ़ को ईट भट्ठे का संचालन बन्द कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था।

18. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध बार–बार शिकायतें प्राप्त होने के अनुकम में ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये संचालित पाया गया, जिसके फलस्वरूप ईट भट्ठे के विरूद्ध रू0 1,06,250.00 की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37ए के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्रांकः2882 दिनांक 22.03.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी थी।

19. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध आफलाइन एवं आनलाइन माध्यम से बार–बार शिकायतें प्राप्त होने के दृष्टिगत सम्बन्धित ईट भट्ठा का अवैध रूप से संचालन बन्द कराये जाने एवं सम्बन्धित थानाध्यक्ष के माध्यम से ईट भट्ठे की सतत् निगरानी रखने हेतु उप जिलाधिकारी, अतरौली, जनपद अलीगढ़ को इस कार्यालय के पत्रांकः196 दिनांक 22.04.2024 के माध्यम से अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है।

20. सन्दर्भित ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 10.05.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 04.04.2022 का उल्लंघन करते हुए एवं राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये संचालित पाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में पुनः इस कार्यालय के पत्रांकः394 दिनांक 13.05.2024 के माध्यम से ईट भट्ठे के विरूद्ध रू0 2,00,000.00 की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है।

21. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0एं0 संख्या–487/2024 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2024 के अनुपालन में ईट भट्ठे का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्यों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनी आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रस्तुत की गयी। रिपोर्ट की छायाप्रति इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है।

22. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित पी0आई0एल0 संख्या–841/2024 सन्दीप यादव बनाम उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.05.2024 के मुख्य अंश निम्नानुसार है–
"…..6. In the meanwhile and till further orders, respondent No. 6 is restrained from operating the brick kiln in question.
7. The District Magistrate, Aligarh is directed to ensure that the brick kiln does not function any more till further orders of this Court….."
ईट भट्ठे का संचालन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से दिनांक 16.05.2024 को बन्द करा दिया गया।

23. वर्तमान में सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध मा0 न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी (वायु एवं जल प्रदूषण), लखनऊ के समक्ष परिवाद संख्या–3594/2024 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ बनाम मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम ग्राम छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़ दायर किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

24. श्री संदीप पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी–शिवपुरी, छर्रा, अलीगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 30.09.2024 के माध्यम से शिकायती पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि मै0 श्रीराम ईंट उद्योग के प्रोपराइटर ने तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी से मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर एन0ओ0सी0 जारी करा ली गयी थी। प्रार्थी की शिकायत के आधार पर अपर जिलाधिकारी अधिकारी (प्रशासन) अलीगढ़ ने अपनी जांच में सम्पूर्ण प्रकरण दर्शाते हुए जांच पूर्ण की गयी है।

25. कार्यालय अभिलेखानुसार श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा, वसूली प्रभारी, जिला पंचायत, अलीगढ़ द्वारा थाना छर्रा, जनपद अलीगढ़ में श्री बोधपाल सिंह पुत्र श्री रामधुन सिंह व अन्य के विरूद्ध दर्ज कराये गये अभियोग के विवेचनाधिकारी श्री इशान हुसैन, उ0नि0, थाना छर्रा, अतरौली, जनपद अलीगढ़ का पत्र दिनांक शून्य इस कार्यालय में दिनांक 26.11.2024 के प्राप्त हुआ। उक्त पत्र के माध्यम से उनके द्वारा चाही गयी सूचनायें इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.11.2024 के माध्यम से प्रेषित की गयी।

26. अपीलीय प्राधिकारी/अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 के अन्तर्गत दायर वायु अपील संख्या–29/2024 में मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा सुनवाई उपरान्त जॉच आख्या इस कार्यालय में पत्रांक:एच21238 दिनांक 16.12.2024 द्वारा प्रेषित की गयी।

27. बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक:एच11783 दिनांक 31.05.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा पत्रांक:795 दिनांक 01.07.2024 द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी थी। बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित आख्या दिनांक 01.07.2024 के कम में बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक:एच25009/सी–4/ईट–904/पर्या0क्षति0/2025 दिनांक 03.03.2025 द्वारा ईट भट्ठे के विरूद्ध रू0 16,81,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी की गयी।

28. बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को बोर्ड मुख्यालय के पक्ष में जमा कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक:2822 दिनांक 10.03.2025 द्वारा सन्दर्भित ईट भट्ठे को पत्र भी प्रेषित किया गया है।

29. सन्दर्भित ईट भट्ठा (मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम ग्राम छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़) को सहमति (जल/वायु) प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति सहित प्रस्तुत निरीक्षण आख्या में वास्तविक तथ्यों को छपाकर कूटरचित दस्तावजों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ में कार्यरत श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक:जी45131/ए0एस0 कैम्प–103/2025 दिनांक 07.03.2025 द्वारा निलम्बित करते हुए बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।

30. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर कि0मि0 रिट याचिका संख्या–12330/2025 डा0 जयपाल सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 11.06.2025 को आदेश जारी किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत है–

"........2. The instant petition has been filed seeking quashing of the F.I.R. dated 29.05.2025, registered as Case Crime No.0463 of 2025, under Sections 420, 465, 467, 468, 471 and 120(B) of I.P.C, Police Station Quarsi, District- Aligarh.

3. Contention of the learned counsel for the petitioner is that there was closure of the brick kiln on 04.04.2022, and thereafter the petitioner, who was an InCharge Regional Officer of the Pollution Control Board, submitted a report on 02.09.2023, and thereafter he retired on 31.08.2024. It is further contended that a very stale episode had been reported on 29.05.2025 after the petitioner had retired...."

31. सन्दर्भित ईट भट्ठा (मै0 श्रीराम ईट उद्योग, ग्राम ग्राम छौगवां, सिरसा रोड, रामपुर मुड़िया, छर्रा, तहसील अतरौली, जनपद अलीगढ़) के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा अधिरोपित रू0 16,81,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय में प्राप्त नहीं है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भॉति किये जाने हेतु सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा पत्रांकःएच28116/सी–4/ ईट–904/आर.सी. /अलीगढ़/2025 दिनांक 09.05.2025 जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया है।

32. बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्रांकःएच28116 दिनांक 09.05.2025 के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ द्वारा ईट भट्ठे के विरूद्ध अधिरोपित ई0सी0 धनराशि रू0 16,81,250/– की वसूली भू–राजस्व की भॉति कराये जाने हेतु पत्रांकः504/एयू–578/2025 दिनांक 12.06.2025 द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अलीगढ़ को निर्देशित किया गया है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा किये जाने की सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

02/09/25 02.09.25

(संदीप) (फरेश कुमार)

अवर अभियन्ता सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,